

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 101 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई के एफ फाईनेन्स लिमिटेड 236-237, थर्ड फ्लोर, एसडीसी मोनार्च, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक जांगिड

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. श्री श्याम मेडिकल स्टोर जरिये प्रोपराईटर रमेश चन्द स्वामी हाथीदेह रोड, बस स्टेण्ड, बुर्ज की ढाणी सीकर 332707 (राज.)
2. रमेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी वार्ड नं. 9 ढाणी चौधरी वाली, टसकोला, जयपुर 303106
3. महेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी वार्ड नं. 9 ढाणी चौधरी वाली, टसकोला, जयपुर 303106
4. सुनीता स्वामी पत्नी रमेश चन्द स्वामी वार्ड नं. 9 ढाणी चौधरी वाली, टसकोला, जयपुर 303106
5. अन्नू देवी पत्नी महेश चन्द स्वामी ढाणी चौधरी वाली, टसकोला, जयपुर 303106
6. सागर मल स्वामी पुत्र सुना राम स्वामी दौलतपुरा, हरदास का बास, सीकर 332707

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः श्री श्याम मेडिकल स्टोर जरिये प्रोपराईटर रमेश चन्द स्वामी, रमेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी, महेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी, सुनीता स्वामी पत्नी रमेश चन्द स्वामी, अन्नू देवी पत्नी महेश चन्द स्वामी व सागर मल स्वामी पुत्र सुना राम स्वामी की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक

प्रथम अचल सम्पत्ति:- खसरा न. 2873/2247, प्लॉट नं. 6, ग्राम बुर्जा की ढाणी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 181.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उतर दिशा में जमीन नं. 7, दक्षिण में जमीन नं. 5, पूर्व दिशा में अन्य भूमि एवं पश्चिम दिशा में रास्ता 25 फीट स्थित है।

द्वितीय अचल सम्पत्ति:- व्यवसायिक सम्पत्ति खसरा न. 2248, प्लॉट नं. एस-13, गांव बुर्जा की ढाणी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उतर दिशा में प्लॉट नं. 18, दक्षिण दिशा में बुर्जा की ढाणी से हाथीदेह रोड़, पूर्व दिशा में प्लॉट नं. एस-12 एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. एस-14 स्थित है।

तृतीय अचल सम्पत्ति:- व्यवसायिक सम्पत्ति खसरा न. 1627/444, प्लॉट नं. 12, पटवार हल्का हाथीदेह, गांव देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- उतर दिशा में बसन्ती लाल शर्मा का प्लॉट, दक्षिण दिशा में व्यवसायिक प्लॉट नं. 11, पूर्व दिशा में हाथीदेह से सनवालपुरा तनवारा रोड़ एवं पश्चिम दिशा में कॉलोनी का रास्ता स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹39,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये उनतालिस लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.12.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर



(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.12.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **श्री श्याम मेडिकल स्टोर जरिये प्रोपराईटर रमेश चन्द स्वामी, रमेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी, महेश चन्द स्वामी पुत्र छीतर दास स्वामी, सुनीता स्वामी पत्नी रमेश चन्द स्वामी, अन्नू देवी पत्नी महेश चन्द स्वामी व सागर मल स्वामी पुत्र सुना राम स्वामी** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की बंधक
प्रथम अचल सम्पत्ति:— खसरा न. 2873/2247, प्लॉट नं. 6, ग्राम बुर्जा की ढाणी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 181.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में जमीन नं. 7, दक्षिण में जमीन नं. 5, पूर्व दिशा में अन्य भूमि एवं पश्चिम दिशा में रास्ता 25 फीट स्थित है।
द्वितीय अचल सम्पत्ति:— व्यवसायिक सम्पत्ति खसरा न. 2248, प्लॉट नं. एस-13, गांव बुर्जा की ढाणी, पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज है। जिसकी



(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में प्लॉट नं. 18, दक्षिण दिशा में बुर्जा की ढाणी से हाथीदेह रोड़, पूर्व दिशा में प्लॉट नं. एस-12 एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट नं. एस-14 स्थित है।

तृतीय अचल सम्पत्ति:— व्यवसायिक सम्पत्ति खसरा न. 1627/444, प्लॉट नं. 12, पटवार हल्का हाथीदेह, गांव देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में बसन्ती लाल शर्मा का प्लॉट, दक्षिण दिशा में व्यवसायिक प्लॉट नं. 11, पूर्व दिशा में हाथीदेह से सनवालपुरा तनवारा रोड़ एवं पश्चिम दिशा में कॉलोनी का रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर